दून विश्वविद्यालय

मोथरोवाला रोड, केदारपुर, पोस्ट ऑफिस अजबपुर, देहरादून–248001

विज्ञापन संख्या/01/12/ 2016 दिनांक 26 दिसम्बर 2016

दून विश्वविद्यालय में निम्नांकित शिक्षणेत्तर पदों के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित शुल्क एवं वांछित अभिलेखों के साथ पूर्ण रुप से भरे गए आवेदन पत्र दिनांक 18 फरवरी 2017 को अपराह्न 05:00 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत (रजिस्टर्ड) डाक से उक्त पते पर प्राप्त हो जाने चाहिए। व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत अथवा कोरियर सेवा के माध्यम से प्रेशित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

क्र0सं0	पद नाम व आयु सीमा	पदों की संख्या	समूह	श्रेणी	वेतनमान रु0	पद से सम्बन्धित योग्यतायें व अनुभव	भर्ती का स्रोत/प्रक्रिया
01	सहायक अभियन्ता (सिविल) (18– 42 वर्ष)	01 पद	ख	सामान्य	15600–39100 ग्रेड पे 5400	**अनिवार्य अर्हताः** सिविल इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा उपाधि के साथ विश्वविद्यालय स्तर की संस्था में आवासीय एवं अनावासीय भवनों व सुविधाओं से सम्बन्धित सिविल कार्यों के रखरखाव एवं प्रबन्धन का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव। सिविल इन्जीनियरिंग में B.Tech उपाधि के साथ विश्वविद्यालय स्तर की संस्था में आवासीय एवं अनावासीय भवनों व सुविधाओं से सम्बन्धित सिविल कार्यों के रखरखाव एवं प्रबन्धन में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को **वरीयता** दी जायेगी।	साक्षात्कार, प्राप्त आवदेन पत्रों की स्क्रीनिंग के उपरांत मेरिट सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का साक्षात्कार
02	स्टूडियो टैक्नीशियन (स्कूल ऑफ मीडिया एवं कम्यूनिकेशन स्टडीज) (18– 42 वर्ष)	02 पद	ग	01 सामान्य, 01 अनुसूचित जाति	9300–34800 ग्रेड पे 4200	**अनिवार्य अर्हताः** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनसंचार/पत्रकारिता मे स्नातक उपाधि के साथ विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में जनसंचार/मीडिया प्रयोगषाला में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव **अथवा** जनसंचार/पत्रकारिता मे स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित मीडिया प्रयोगशाला में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।	लिखित व प्रयोगात्मक परीक्षा

03	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) (18– 42 वर्ष)	01 पद	ग	सामान्य	9300–34800 ग्रेड पे 4200	**अनिवार्य अर्हताः** विद्युत यांत्रिक में डिप्लोमा तथा विश्वविद्यालय स्तर की संस्था में 33 के.वी.ए. व 11 के.वी.ए. के विद्युत स्टेषनों, जेनेरेटर, सेन्ट्रल एयर कन्डीषनिंग सिस्टम आदि का संचालन व विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के रखरखाव कार्य का न्यूनतम 3 वर्श का अनुभव।	लिखित व प्रयोगात्मक परीक्षा
04	स्टूडियों सहायक (स्कूल ऑफ मीडिया एवं कम्यूनिकेशन स्टडीज) (18– 42 वर्ष)	01 पद	ग	सामान्य	5200–20200 ग्रेड पे 1900	**अनिवार्य अर्हताः** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनसंचार /पत्रकारिता में स्नातक उपाधि। **वरीयता** उक्त में स्नातक उपाधि के साथ स्टूडियो/मीडिया लैब में कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।	लिखित व प्रयोगात्मक परीक्षा
05	वाहन चालक (18– 42 वर्ष)	02 पद	घ	01 सामान्य, 01अनुसूचित जाति	5200–20200 ग्रेड पे 1900	**अनिवार्य अर्हताः** मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा संभागीय परिवहन अधिकारी से जारी किया गया वैध लाइसेंस व हल्के मोटर वाहन (LMV) चलाने का 05 वर्ष का अनुभव।	लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, ड्राईविंग टेस्ट

आवेदनकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं अनुदेषः

1. **अधिकतम आयु सीमा में छूट** : उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–2 पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

2. **शारीरिक स्वस्थता–** किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह अभ्यर्थी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से ग्रसित नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–एक भाग–दो के अध्याय– तीन में समाविष्ट मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

3. **सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरणः– समूह 'ग' व घ'** के पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण एवं पंजीकरण की वैधता का होना अनिवार्य है।

शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010–3(1)/2010 दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार ''जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनवार्स कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।''

4. **राष्ट्रीयता** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है किः

(क) वह भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से बसनें के आशय से 01 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया, यूगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो, परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो; परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महनिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया गया न हो और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणीः ऐसे अभ्यर्थी को जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

5. **चरित्र**: सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणीः संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

6. वैवाहिक प्रास्थितिः– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो, परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

7. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :

1. आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के पास अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक है। अन्तिम तिथि के बाद के अर्हता स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. आवेदन पत्रों के डाक द्वारा विलम्ब होने अथवा गुम होने का दायित्व विश्वविद्यालय का नहीं होगा।
3. सभी मूल प्रमाण–पत्रों की छाया प्रतियां एवं छायाचित्र/फोटो स्वप्रमाणित प्रमाणित होना आवश्यक है।

4. यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी अर्ह नहीं था/थी अथवा आवेदन पत्र निरस्त होना चाहिए था, तो विश्वविद्यालय चयन समिति को अधिकार होगा कि उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय।
5. विश्वविद्यालय को नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त करने या आगे बढ़ाने या स्थगित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. ***अपना पता लिखे हुए 23–10 सेमी0 आकार के दो लिफाफे आवदेन पत्र के साथ संलग्न करें, जिसमें से एक पर साधारण डाक व्यय रु0 05/ का तथा दूसरे पर पंजीकृत डाक व्यय रु0 40/– के डाक टिकट लगे होने आवश्यक हैं।***
7. केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने सेवा नियोजन का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कराना आवश्यक होगा।
8. लिफाफे के उपर मोटे अक्षरों में आवेदित पदनाम व विज्ञापन संख्या का उल्लेख अवश्य होना चाहिए, अन्यथा आवदेन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
9. प्राप्त आवेदनों पत्रों की छंटनी, समिति द्वारा की जायेगी तथा पदों के सापेक्ष (जितनी विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित होगी) चयनित अभ्यर्थियों को ही लिखित व प्रयोगात्मक परीक्षा, साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
10. अभ्यर्थी की अर्हता तथा अन्यथा के संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
11. एक लिफाफे में एक से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

12. **सामान्य जाति हेतु रु0 300 तथा अनुसूचित जाति रु0 150/निर्गत रेखांकित बैंक ड्राफ्ट जो '' दून विश्वविद्यालय '' देहरादून के पक्ष में देय हो, ही स्वीकार होगा।**
13. अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं एवं अभिलेखों से रहित अपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं है, समय से प्राप्त होने के बावजूद सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे। निर्धारित शुल्क से कम शुल्क वाले आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
14. चरित्र प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा मान्य होगा।
15. विश्वविद्यालय पदों की संख्या को घटा सकता है, अथवा निरस्त भी कर सकता है।
16. राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी विभाग/निगम/निकाय द्वारा पदच्युत अथ्यर्थी सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
17. परीक्षा की तिथि, कार्यक्रम, समय तथा केन्द्रों के संबंध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्रों के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र में बदलाव अनुमन्य नहीं होगा।

8. परीक्षा हेतु पाठ्यक्रमः

क्र0सं0	पद नाम	परीक्षा पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विवरण
01	सहायक अभियन्ता (सिविल)	स्क्रीनिंग के उपरांत मेरिट सूची के अनुसार साक्षात्कार
02	स्टूडियो टैक्नीशियन	चयन के लिए **100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार** (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा हेतु **सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वांछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय का एक प्रश्न पत्र होगा।**

		50 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा में जनसंचार/मीडिया स्टूडियो से सम्बन्धित कार्यों, तकनीकी व उपकरणों के संचालन में दक्षता का परीक्षण होगा।
03	कनिष्ठ अभियन्ता (इलैक्ट्रिकल)	चयन के लिए **100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार** (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा हेतु **सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वांछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय का एक प्रश्न पत्र होगा।** **50 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा में विद्युत स्टेषन एवं सबस्टेषनों, केन्द्रीय वातानुकूलन संयत्र, विद्युत आपूर्ति, भारी जेनेरेटरों के संचालन व अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों, तकनीकी व उपकरणों के संचालन में दक्षता का परीक्षण होगा।**
04	स्टूडियों सहायक	चयन के लिए **100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार** (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा हेतु **सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वांछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय के एक प्रश्न पत्र होगा।** **50 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा में जनसंचार/मीडिया स्टूडियो से सम्बन्धित कार्यों, संचालन व रखरखाव सम्बन्धी कौषल का परीक्षण होगा।**
05	वाहन चालक	चयन के लिए **100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार** (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के आधार पर **सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान तथा वाहन चालक** के प्राविधिक ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न पत्र होगा। **50 अंको का व्यवहारिक दक्षता परीक्षण वाहन एवं वाहन चालन एवं रखरखाव से सम्बन्धित विशयों पर होगा।**

9. परीक्षा से सम्बन्धित अन्य जानकारीः

लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की होगी। जिसमेंः

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर है। अभ्यर्थी को केवल एक सही विकल्प का चुनाव करना है।

(ख) अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रुप में काटा जायेगा।

(ग) मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(घ) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प चुनता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा।

(ड़) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(च) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ लें जाने की अनुमति दी जायेगी।

(छ) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

कुलसचिव